राजस्थान सरकार
औषधि नियत्रंण संगठ्न स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर (राज0)

क्रमांकः डीसी/ई/एफ-26/2017/ 929 दिनांकः 26/11/2017

-:: आदेश ::-

भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-II-खण्ड-3-उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना GSR 1337 (E) दिनांक 27.10.2017 के द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 में किये गये संशोधन एवं नये अन्तर्निविष्ट नियम 65 ख ''अनुपालन की जाँच के लिये निरीक्षण'' के क्रम में संगठ्न के पूर्व में जारी परिपत्र डीसी-2/ई-1/2015/82 दिनांक 02.03.2015 की निरंतरता में जारी संशोधन आदेश डीसी/ई-26/2015/497 दिनांक 13.08.2015 स्वतः निष्प्रभावी हो जाने के कारण एतद्द्वारा उस संशोधन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 02.03.2015 पूर्ण रूप से यथावत् प्रभावी रहेगा।

अतः वर्तमान में प्रचलित संशोधन नियमानुसार औषधि विक्रताओं के समस्त निरीक्षण औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रकों के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में उनके निर्देशानुसार नियमों की अनुपालना की जाँच के लिये निरीक्षण संपादित किये जावेगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः डीसी/ई/एफ-26/2017/ 929 दिनांकः 28/11/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को अधिसूचना GSR 1337 (E) दिनांक 27.10.2017 की पालना में एवं प्रशासनिक विभाग की आई0डी0 संख्या 1706/पीएचएस/15 दिनांक 10.08.2015 के क्रम में।
3. औषधि नियंत्रक-II, राज0 जयपुर।
4. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को पालनार्थ।
5. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय मु0 को भेजकर लेख है कि उक्त को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
7. प्रभारी, सी-डेस्क, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर।